संख्या-15-1065/77-3-16-13(बजट)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 10 अगस्त, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में "लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे में परामर्शी सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 2.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-634/यूपीडा/08/147, दिनांक 23.06.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में "लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852- उद्योग- 80- सामान्य- 800- अन्य- 12- लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियोजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" मद में प्राविधानित धनराशि रू0520.00 करोड़ में से समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे हेतु परामर्शी सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) की

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये। अत: जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेंगे।

(4) धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक 22.03.2016द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-"2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियोजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या-1065 (1)/77-3-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6.वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra